

सरयू राय

मंत्री

संसदीय कार्य-सह  
खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं  
उपभोक्ता मामले विभाग  
झारखण्ड सरकार



झारखण्ड सरकार

कार्यालय :-

झारखण्ड मंत्रालय

प्रोजेक्ट भवन, धुवाँ, राँची

आवास : एफ.टाईप, पी.डब्ल्यू.डी. (IB)

दोरण्डा, राँची

मो. : 9431114466

पत्रांक... 107 (31/5) 2017

दिनांक... 19-05-17

माननीय राज्यपाल जी.

विषय : गंगा दशहरा को 'नद-नदी संरक्षण दिवस' घोषित करने के संबंध में.

महोदया,

सर्वविदित है कि गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा का अवतरण धरती पर हुआ. अपेक्षाकृत नया पर्वत हिमालय से प्रवाहित होकर इन्होंने गंगासागर में सागर पुत्रों का उद्धार किया. इनके पवित्र और सदा शुद्ध रहने वाली जलराशि की महिमा का बखान प्राचीन एवं अर्वाचीन ग्रंथों में वर्णित है. हमारी सभ्यता और संस्कृति को रचने-गढ़ने में गंगाजी का अप्रतिम योगदान है.

विकास के नाम पर स्थापित उद्योगों एवं अन्यान्य आर्थिक गतिविधियों की अविवेकपूर्ण कार्यशैली ने गंगाजी सहित अन्य जलस्रोतों पर विनाशकारी प्रभाव डाला है. नदियों के जल पर आश्रित होकर उनके जलग्रहण क्षेत्र में जिन उद्योगों एवं संबद्ध आर्थिक गतिविधियों का साम्राज्य खड़ा हुआ वही साम्राज्य भस्मासुर बनकर नदियों के अस्तित्व को मिटाने पर उतारू है. स्मरण रहे नदी नहीं तो हम नहीं.

गंगाजी और झारखंड का अन्योन्याश्रय संबंध है. झारखंड का करीब तीन-चौथाई भू-भाग गंगाजी के जलग्रहण क्षेत्र का हिस्सा है. सुवर्णरेखा, शंख और दक्षिण कोयल को छोड़कर झारखंड की शेष सभी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र का जल गंगाजी के माध्यम से समुद्र तक जाता है. गंगाजी झारखंड में साहेबगंज जिला से होकर गुजरती हैं.

आज हमने अपने निहित स्वार्थों के खातिर नदियों के उपर जितना बड़ा संकट खड़ा कर दिया है उसका समाधान व्यापक जनजागरण और नीतिगत बदलाव के बिना संभव नहीं है. गंगाजी के प्रति जन-जन की अटूट आस्था इस दिशा में हमारे प्रयत्नों के लिये

मजबूत संबल सिद्ध होगी. स्वयं गंगाजी को और इनके माध्यम से तमाम छोटी-बड़ी नदियों और जलस्रोतों को उनके उपर मंडरा रहे संकट से उबारने के लिये जगह-जगह चलाये जा रहे जनजागरण और नीतिगत बदलाव के प्रयत्नों को शक्ति एवं प्रोत्साहन मिलेगा यदि गंगा दशहरा के पावन दिन को नद-नदी संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाय और इस आयोजन को समाज के साथ साथ राज्य की भी मान्यता मिले.

मेरा विनम्र अनुरोध है कि झारखंड सरकार गंगा दशहरा को नद-नदी संरक्षण दिवस घोषित करे. इस हेतु समुचित निर्देश देने की कृपा करेंगी.

२५/५/१७

भवदीय

२५/५/१७  
१५.५.२०१७  
सरयू राय

सेवा में,  
श्रीमती द्रौपदी मुर्मू,  
माननीय राज्यपाल,  
झारखण्ड, राँची.